दिनांक-30.11.2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

बायो मेडिकल वेस्ट को फेंककर फैलाई गंदगी , भरना पड़ा 15000 जुर्माना, उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ लक्ष्मी मार्केट वार्ड क्रमांक 5 के समीप एक निजी अस्पताल के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट (जैव चिकित्सा अपशिष्ट) को बेतरतीब ढंग से फेंक दिया गया था तथा कुछ वेस्ट को सफाई कर्मचारी के रिक्शे में भी डाल दिया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर उड़नदस्ता की टीम मौके पर पहुंच गई तथा बड़ी मात्रा में डाले गए बायो मेडिकल वेस्ट प्राप्त होने पर संबंधित अस्पताल के संचालक को समझाइश देते हुए 15000 रुपए का जुर्माना लगाया गया! इसी तरह चंद्रा मौर्य चौक के समीप स्थित होटल में गंदगी फैलाई जाने पर 5000 का जुर्माना वसूल किया गया! वार्ड क्रमांक 18 वृंदा नगर विनोद फर्नीचर के संचालक द्वारा कचरा फैलाए जाने पर 1000 का शुल्क वसूल किया गया! नगर निगम की उड़नदस्ता की टीम ने आज वार्ड क्रमांक 05 वार्ड 18 एवं वार्ड 12 सहित निगम के अन्य स्थलों पर गंदगी फैलाए जाने, अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं रखने , प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय करने , सड़क बाधा करने , एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ का विक्रय करने आदि को लेकर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की तथा से 3 व्यवसायियों से 21000 का अर्थदंड शुल्क वसूल कर निगम कोष में जमा कराया गया! निगम की उड़नदस्ता की टीम लगातार गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही कर रही है इसी के साथ ही मलबा सड़क पर रखकर सड़क बाधा करने वालों को भी समझाइश देते हुए कार्यवाही की जा रही है करें!

जल है तो कल है

जल ही जीवन है!

जनसंपर्क अधिकारी